पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये

17

न्यायालय माननीय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक......../09–10 निगरानी माल

निगरानी -1775- I/09

भरत उर्फ दौलत सिंह पुत्र श्री श्रीलाल धाकड
निवासी नवाव साहब रोड शिवपुरी म.प्र. ——पिटीशनर

ए.के. अग्रवाल एडवोकेट
द्वारा आज दि. 29-12-09 को प्रस्तुत।
29.12.09
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

मध्यप्रदेश शासन शिवपुरी
द्वारा– कलेक्टर शिवपुरी म.प्र ——नॉनपिटीशनर

29/12/09

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध निर्णय श्री ए.के. शिवहरे अपर आयुक्त ग्वालियर जिनके द्वारा प्रकरण कमांक 31/08–09 अपील में पारित निर्णय दिनांक 10.11.09 के विरूद्ध

महोदय

सेवामें पिटीशनर की निगरानी न्यायिक पुष्ट आधारों पर अवधि भीतर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अ– यह कि पिटीशनर ग्राम मनिबर की भूमि सर्वे कमांक 1151 रकवा 0.418 हेक्टर का भूमि स्वामी है भूमि का रकवा मात्र 2 बीघा है जिसमें से 1 बीघा भूमि डायवर्टेट है ।.

29.12.09

ब– यह कि श्री अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा पिटीशनर को नोटिस दिया गया जिसका उसने जवाव दिया और व्यक्त किया कि वह सर्वे कमांक 1151स्थित ग्राम मनियर परगना व जिला शिवपुरी का मात्र 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1775–एक/2009 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक श्री जादौन उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वायिलर के प्रकरण क्र0 31/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.11.09 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि पटवारी रिर्पोट प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा विधिवत अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया जाकर उसे साक्ष्य और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । उसके द्वारा कोई साक्ष्य न किये जाने के कारण उसका साक्ष्य का अवसर भी समाप्त	

किया गया एवं पटवारी के विधिवत न्यायालय में कथन अंकित कराये गये । पटवारी ने अपने कथनों में अवगत कराया है कि मौका निरीक्षण किया जाकर ही तत्कालीन पटवारी द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की गई । अनावेदक भूमिस्वामी के द्वारा वैजंयती पत्नी रामेश्वर सोनी, नंद किशोर पुत्र मथुरा प्रसाद धाकड़, सुमनलता सक्सैना आदि को भूखण्ड के रूप में भूमि का विक्रय किया गया है । पटवारी ने यह भी कथन में अंकित कराया कि दिनांक 21.11.2006 तक 1/4 भूमि भूखण्डों के रूप में विक्रय हो चुकी है । भूमि का डायवर्सन कराये जाने और डायवर्सन राशि जमा कराने बावत कोई प्रमाण आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो आवेदक के द्वारा विक्रय की गई है, उसका रबा इतना कम है कि उस पर कृषि कार्य सम्भव ही नहीं है और ऐसी भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु ही मानी जाती है । प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितयों से यह पूर्णतः प्रमाणित है कि आवेदक के द्वारा अवैधानिक रूप से कालोनी का निर्माण किया जाकर भूखण्डों का विक्रय किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर शिवपुरी अपील निरस्त करके उचित निर्णय लिया है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.09 द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त का आदेश विधिनुकूल है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से

खारिज की जाती है और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालिर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.09 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य